उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 03 फाल्गुन, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 22 फरवरी, 2019)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन ''उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2 वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (खण्ड-I एवं खण्ड-II) को सदन के पटल पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

6. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की लोक लेखा समिति (वर्ष 2017-18) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

7. सभापति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (वर्ष 2017-18) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

8. सभापति, जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
9. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
10. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वागाज में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह ग्राम भलस्वागाज पो0-खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हरचन्दपुर माजरा में रविदास मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री मौहर सिंह, ग्राम-हरचन्दपुर माजरा, पो0-ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बेहडेकी सेदाबाद में राजकीय कन्या ईण्टर कालेज में जूनियर कक्षाओं एवं हाईस्कूल कक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में'', श्री साधूराम पुत्र श्री हरद्वारी, ग्राम- बेहडेकी सेदाबाद, पो0-ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

14. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

15. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

16. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय।

19. आबकारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

20. आबकारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाय।

21. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) उद्यान मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3245417 हजार (रूपये तीन सौ चौबीस करोड़ चौवन लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(2) शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 85389833 हजार (रूपये आठ हजार पांच सौ अड़तीस करोड़ अठ्ठानवे लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(3) वन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 10294383 हजार (रूपये एक हजार उन्तीस करोड़ तैतालीस लाख तिरासी हजार मात्र** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(4) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 791601 हजार (रूपये उन्यासी करोड़ सोलह लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(5) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 804220 हजार (रूपये अस्सी करोड़ बयालीस लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2652511 हजार (रूपये दो सौ पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15160435 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ सोलह करोड़ चार लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 181924 हजार (रूपये अठारह करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 19670275 हजार (रूपये एक हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 24277198 हजार (रूपये दो हजार चार सौ सत्ताईस करोड़ ईकहत्तर लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 713662 हजार (रूपये ईकहत्तर करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(12) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 18376768 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ सैंतीस करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(13) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 22859111 हजार (रूपये दो हजार दो सौ पचासी करोड़ इक्यानवे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(14) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3370268 हजार (रूपये तीन सौ सैंतीस करोड़ दो लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(15) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 18883811 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ अठ्ठासी करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(16) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2877212 हजार (रूपये दो सौ सत्तासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(17) खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2528225 हजार (रूपये दो सौ बावन करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

22. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

25. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

26. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

27. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

28. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

29. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

30. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

31. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

32. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

33. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

35. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय।''

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय।''

38. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये।''

39. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

41. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

42. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

43. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।'

44. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय''।

47. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः-

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः-

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

50. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः-

''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

51. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

52. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत नगर पालिका शिवालिक नगर व ग्राम सभा रावली महदूद की सीमा पर स्थित नाले से अतिक्रमण हटाकर उक्त नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री आदेश चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य।

53. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, श्री दीवान सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अंतर्गत वक्तव्य।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 21 फरवरी, 2019

प्रथम सत्र, 2019 का
द्वितीय शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

शुक्रवार,

फाल्गुन 03, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 22 फरवरी 2019)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
06.02.2019

**** क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि रसायनिक, खाद्य एवं कीटनाशक दवा की सैम्पलिंग की जाती है? यदि हां, तो सैम्पल फेल होने पर दुकानदार का लाइसेन्स निरस्त किया जाता है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड बनने के बाद कितने सैम्पल फेल हुए है और कितनों पर कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

तारांकित प्रश्न

नत्थी 'ख'

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण 18.01.2019	*1. क्या उद्यान मंत्री अवगत है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले जंगली ''पौधे सीबक थोर्न'' (Sea buck thorn)को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वन उपज की जगह कृषि उपज के रूप में मान्यता दी गयी है और इसकी खेती को हिमालयी राज्यों में प्रोत्साहित किया जा रहा है? यदि हॉ, तो उत्तराखण्ड में सीबक थोर्न जिसमें शरीर को चुस्त–दुरूस्त रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे गुण है की खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण 21.01.2019	*2. क्या उद्यान मंत्री अवगत है कि औषधीय महत्व के पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारम्भ किये गये अटल हर्बल मिशन का विस्तार अब भी प्रदेश के सभी जनपदों में नहीं हो पाया है? साथ ही कृषि विभाग द्वारा न तो किसानों को पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी और नहीं किसानों के हर्बल उत्पादों के ''बायबैक'' की व्यवस्था है? यदि हॉ, तो इन समस्याओं के निदान के लिए क्या योजना बनायी गयी है? हर्बल मिशन के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के किन गांवों, कितने किसानों और किन फसलों का चयन किया गया है?	उद्यान
श्री मनोज रावत 29.1.2019	*3. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि देहरादून नगर के गंगोत्री विहार (चीड़ोंवाली) में तीन चौथाई आबादी को छोड़ते हुए सीवर लाईन बिछायी गई है? यदि हॉ, तो इसका औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी उस बैठक का कार्यवृत, जिसमें उपर्युक्त सीवर योजना का डिजायन स्वीकृत किया गया हो, सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं तो इसमें क्या कठिनाई है और कब तक क्षेत्र की पूरी आबादी को सम्मिलित करते हुए सीवर लाईन बिछा दी जायेगी?	पेयजल
श्री देशराज कर्णवाल 04.02.2019	*4. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में आर्गेनिक खेती की पुरानी परम्परा को बनाये रखने, संवर्धन एवं वर्तमान बाजार की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक योजना का निरूपण करेंगे? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रदेश के ऐसे कृषकों के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कृषि योजनाएं लागू करने के लिए सरकार ऐसे कृषकों को प्रतिमाह न्यूनतम रू 3000 (तीन हजार) की आर्थिक सहायता प्रदान कर एक बहुअयामी योजना के रूप में इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री देशराज कर्णवाल 06.02.2019	*5. क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पश्चात प्रदेश के कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या संशोधन किये गये है? क्या सरकार भविष्य में उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुसार कृषि पाठ्यक्रम निर्धारित करने की योजना बना रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि शिक्षा
श्री देशराज कर्णवाल 07.02.2019	*6. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि उपज के भण्डारण की सुविधा न होने के कारण किसानों को अपनी उपज बिचौलियों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है? क्या सरकार कृषि उपज के भण्डारण की नीति बना रही है ? क्या सरकार उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 11.02.2019	*7. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में ओ0डी0एफ0 अर्थात हर ग्राम में हर एक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य की पूर्ति के सरकारी दावे के बावजूद भी जनपद हरिद्वार के अधिकतर ग्रामों में शौचालय ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार लोकहित में अविलम्ब ग्रामों में शौचालय से छूट गये ग्रामीणों को शौचालय उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

<u>अतारांकित प्रश्न</u>

श्री हरभजन सिंह चीमा 25.1.2019	1. क्या गन्ना एंव चीनी मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि काशीपुर शुगर मिल के प्रति क्षेत्र के किसानों को पेराई सत्र 2007–08 के प्रति रू0 117.94 लाख एवं पेराई सत्र 2011–12 के प्रति रू0 237.36 लाख कुल रू0 2492.30 लाख का भुगतान अवशेष है तथा वर्ष 2011–12 में मिल बन्द होने से बेरोजगार हो चुके मिल कर्मचारियों के वेतन के प्रति रू0 65.08 लाख देय है? यदि हॉ, तो सरकार गन्ना किसानों एंव मिल के बेरोजगार कर्मचारियों को उनकी देय राशि का भुगतान कब तक करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना एवं चीनी
श्री देशराज कर्णवाल 28.1.2019	2. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत नगर क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सीवर लाइन बिछाने पर विचार कर ही है? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और कब तक योजना प्रारम्भ की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री धन सिंह नेगी 28.1.2019	3. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार विधान सभा वार प्रतिवर्ष पानी की आपूर्ति हेतु हैण्ड पम्पों के निर्माण के लिए बजट आंवटित करती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–2018 व 2018–2019 में टिहरी जनपद में कितने हैण्ड पम्पों की स्वीकृतियां दी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री देशराज कर्णवाल 30.1.2019	4. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम उदलहेडी में पानी की टंकी व ग्रामीण क्षेत्रों में 75 हैण्डपम्प लगाये जाने एवं नगर पंचायत भक्तोवाली में एक जल टंकी का निर्माण कराये जाने की घोषणा की गई थी? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.02.2019	पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त। 5. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकासखण्ड जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत ''काण्डी पम्पिंग पेयजल योजना'' निर्माण की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हॉ, तो काण्डी पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण की प्रगति क्या है? उक्त योजना का निर्माण कब तक करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री देशराज कर्णवाल 01.02.2019	6. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों को अपनी कृषि उत्पादों को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 में अब तक कितनी आय–व्यय के सापेक्ष व्यय करने के उपरान्त कुल कितनी लम्बी सड़कों का जनपदवार निर्माण हुआ है? क्या सरकार इस विवरण को सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार इन सम्पर्क मार्गो को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर निर्मित कराने की कोई योजना मण्डी परिषदों के माध्यम से पूर्ण कराये जाने की योजना एवं नीति बना रही है? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी तत्संबंधी नीतियों का विस्तृत विवरण सदन के पदल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री देशराज कर्णवाल 04.02.2019	7. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के किसानों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष रू 6000/– के समतुल्य, राज्य सरकार की आर्थिक सहायता के रूप में रू 6000/– प्रतिवर्ष देगी? यदि हां, तो इस योजना का व्यापक स्वरूप संबंधी विवरण मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.02.2019	8. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने ऐसे परिवार हैं, जिनकी आजीविका औद्यौनिकी व फलोत्पादन से चल रही है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि औद्यौनिकी व फलोत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही ऐसी योजनाओं से कुल कितने परिवारों को लाभ मिला है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.02.2019	9. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत ग्राम कुष्ट सकलाना में भारत सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना संचालित है? इस योजना में 48 किसान पंजीकृत है और जैविक कृषि कार्य कर रहे है? क्या यह सत्य है कि सिंचाई सुविधा के अभाव में कृषकों को अपने उत्पादन का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार इन कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.02.2019	10. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.डी. पी.) की कुल कितनी योजनायें आतिथि तक प्रस्तावित हैं और उनमें से कुल कितनी योजनायें स्वीकृत की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी 04.02.2019	11. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चम्पावत जिले की चम्पावत विधान सभा के टनकपुर में ''पूर्णागिरी धाम पम्पिंग योजना'' प्रस्तावित है?क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका निर्माण करायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी 04.02.2019	12. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि चम्पावत जिले की चम्पावत विधान सभा में ''धूरा ग्राम समूह पेयजल पम्पिंग योजना'' प्रस्तावित है? क्या सरकार जनहित मे शीघ्र इसका निर्माण करायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री धनसिंह नेगी 05.02.2019	13. क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि सरकार पेयजल आपूर्ति के लिए बनायी गयी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का पुर्नगठन करती है? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा, रानीचौरी व नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजनाओं के पुर्नगठन के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि हॉ, तो इन पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री देशराज कर्णवाल 08.02.2019	14. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बंजर पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रस्तावित बंजर भूमि पर किन किन जगहों पर वृक्षारोपण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान

नत्थी-"ग"

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः-29, 11, 27, 06, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23 तथा 25

	प्रस्तावक का नाम	**प्रस्ताव का प्रारूप**
(क)	1. डा0 इन्दिरा हृदयेश, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 5. श्री करन माहरा, 6. श्री हरीश सिंह, 7. श्रीमती ममता राकेश, 8. श्री आदेश सिंह चौहान, 9. श्री राजकुमार, 10. श्री मनोज रावत, 11. हाजी फुरकान अहमद।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री प्रीतम सिंह पंवार,	